तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /टीए/572/2002/गंगानगर** **राजस्थान सरकार बनाम अल्लादिता**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :
श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता प्रार्थी ।
अधिवक्ता अप्रार्थी एवं अप्रार्थी बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 22.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं सपठित धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 15.01.2002 द्वारा राजस्व मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, छतरगढ़ ने अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 232 राज0काश्त0अधि0 1955 एवं सपठित धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ0गा0न0प0 छतरगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.01.89 द्वारा अप्रार्थी अल्लादिता को चक 2 एस0जे0एम0 के मु0सं0 77/2 की 7 बीघा, चक 4 एस.जे.एम. के मु.सं. 58/41 की 7 बीघा एवं चक 3 केएलएम की 7 बीघा कुल 21 बीघा पुख्ता आंवटित भूमि में मौका पर श्मशान, पक्की सड़क एवं वन विभाग की वृक्षारोपण में अवाप्त होना बताते हुए उसकी एवज में चक 3 केएलएम के मु.सं. 150/46 की 20 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जबकि सहायक उपनिवेशन आयुक्त तबादले में भूमि देने के लिए कानून के अंतर्गत अधिकृत नहीं थे तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.05.77 द्वारा ए.सी. सी. एवं आवंटन अधिकारी को भूमि तबादलों को स्वीकृत करने पर रोक थी। राज0काश्त0अधि0 1955, राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956, राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 व राजकीय उपनिवेशन भूमि आवंटन नियमावली 1975 में इस प्रकार भूमि तबादले करने के प्रावधान नहीं है। अतः सहायक उपनिवेशन आयुक्त छतरगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.01.89 कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त किया जावें। उक्त आशय का प्रार्थना पत्र पेश होने पर न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ ने अपने आदेश दिनांक 15.01.2002 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय न्यायालय को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ0गा0न0प0 छतरगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.01.89 द्वारा अप्रार्थी अल्लादिता को चक 2 एस0जे0एम0 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स /टीए/572/2002/गंगानगर</u>** **राजस्थान सरकार बनाम अल्लादिता**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मु0सं0 77/2 की 7 बीघा, चक 4 एस.जे.एम. के मु.सं. 58/41 की 7 बीघा एवं चक 3 केएलएम की 7 बीघा कुल 21 बीघा पुख्ता आंवटित भूमि में मौका पर श्मशान, पक्की सड़क एवं वन विभाग की वृक्षारोपण में अवाप्त होना बताते हुए उसकी एवज में चक 3 केएलएम के मु.सं. 150/46 की 20 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जबकि सहायक उपनिवेशन आयुक्त तबादले में भूमि देने के लिए कानून के अंतर्गत अधिकृत नहीं थे तथा राज्य सरकार के आदेश दिनांक 24.05.77 द्वारा ए.सी.सी. एवं आवंटन अधिकारी को भूमि तबादलों को स्वीकृत करने पर रोक थी। राज0काश्त0अधि0 1955, राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956, राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 व राजकीय उपनिवेशन भूमि आवंटन नियमावली 1975 में इस प्रकार भूमि तबादले करने के प्रावधान नहीं है। इसके अलावा भूमि अधिनियम के अंतर्गत विधिवत् भूमि अवाप्ति की कार्यवाही नहीं हुई थी, विनिमय प्रकरण भी गलत रूप से बनाया जाकर स्वीकृत किया गया। विनिमय प्रपत्र में अवाप्त भूमि का खुलासा नहीं है एवं किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है एवं तहसीलदार से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट भी नहीं मांगी गई है। अतः उक्त आवंटन राज्य सरकार के आदेशों एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से खारिज किया जावें। हमनें विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि सहायक उपनिवेशन आयुक्त इ0गा0न0प0 छतरगढ़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 07.01.89 द्वारा अप्रार्थी अल्लादिता को चक 2 एस0जे0एम0 के मु0सं0 77/2 की 7 बीघा, चक 4 एस.जे.एम. के मु.सं. 58/41 की 7 बीघा एवं चक 3 केएलएम की 7 बीघा कुल 21 बीघा पुख्ता आंवटित भूमि में मौका पर श्मशान, पक्की सड़क एवं वन विभाग की वृक्षारोपण में अवाप्त होना बताते हुए उसकी एवज में चक 3 केएलएम के मु.सं. 150/46 की 20 बीघा भूमि आवंटित की गई है। जबकि सहायक उपनिवेशन आयुक्त तबादले में भूमि देने के लिए कानून के अंतर्गत अधिकृत नहीं थे तथा राज्य सरकार के आदेश संख्या एफ 3(67) राज0/उप0/75 दिनांक 24.05.77 के अंतर्गत भूमि तबादलों पर सीधे सहायक आयुक्त उपनिवेशन एवं आवंटन अधिकारी को स्वीकृत करने की रोक थी। इसके बावजूद भी सहायक उपनिवेशन आयुक्त, छतरगढ़ ने राज्य सरकार द्वारा जारी आदेशों, राज0काश्त0अधि0 1955, राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956, राज0 उपनिवेशन अधिनियम 1954 व राजकीय उपनिवेशन भूमि आवंटन नियमावली 1975 के विपरीत जाकर भूमि आवंटन के आदेश जारी किए है, जो उचित प्रतीत नहीं होते है। सहायक आयुक्त उपनिवेशन ने भूमि आवंटित किए जाने से पूर्व तहसीलदार से किसी प्रकार की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा विनिमय प्रकरण भी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /टीए/572/2002/गंगानगर** **राजस्थान सरकार बनाम अल्लादिता**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	गलत रूप से बनाया जाकर स्वीकृत किया गया है। सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा किया गया उक्त आवंटन विधिक प्रावधानों की अवहेलना कारित करते हुए किया गया है, जो निरस्त किए जाने योग्य है। परिणामतः न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, सूरतगढ़ द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 15.01.2002 के क्रम में मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत रेफरेंस स्वीकार किया जाता है तथा सहायक उपनिवेशन आयुक्त द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 07.01.89 निरस्त किया जाता है तथा भूमि की किस्म पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो । आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	